

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :-

109 / 2020

निर्णय दिनांक:-

23.02.2021


1. धनपाल पुत्र किशना जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
2. मोती पुत्र किशना जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
3. रामकल्याण पुत्र किशना जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक

— प्रार्थीगण

## बनाम

1. झमरी पत्नी रामपाल जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
2. कल्याणी पत्नी गोपाल जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
3. घासी पुत्र सीताराम जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
4. धनपाल पुत्र सीताराम जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
5. प्रधान पुत्र गोपाल जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
6. फोरमेन पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
7. भंवरलाल पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
8. मूर्ति पुत्री रामनारायण जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
9. माया पुत्री गोपाल जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
10. सुखपाल पत्नी रामनारायण जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
11. हेमराज पुत्र गोपाल जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
12. हरिराम पुत्र गोपाल जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
13. अनोख पुत्री लक्ष्मण जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
14. कन्हैयालाल पुत्र भोलू जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
15. कमलेशी पत्नी भोलू जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
16. कैलाशी पुत्री रामनिवास जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
17. किशनचन्द्र पत्नी भोलू जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
18. घीसी पत्नी लक्ष्मण जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
19. दाखा पत्नी रामनिवास जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
20. दियाराम पुत्र भोलू जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
21. पृथ्वीराम पुत्र लक्ष्मण जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
22. पप्पु पुत्र भोलू जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
23. प्रहलाद पुत्र लक्ष्मण जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
24. प्रहलादी पत्नी लक्ष्मण जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
25. बदरीलाल पुत्र लक्ष्मण जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
26. भंवरलाल पुत्र रामनिवास जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
27. मनफुल पुत्र भोलू जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
28. मनभर पुत्री लक्ष्मण जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
29. लाड पुत्री भोलू जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
30. शिमाल पुत्री भोलू जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
31. हनुमान पुत्र लक्ष्मण जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
32. कुशन पुत्री प्रेम जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
33. डोली पुत्री प्रेम जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
34. सुमित्रा पुत्री प्रेम जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक

S.Re.251a.136



उप खण्ड अधिकारी  
उनियारा

35. गोविन्द पुत्र प्रेम जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक  
 36. औमप्रकाश पुत्र प्रेम जाति माली निवासी हमीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक  
 37. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम  
 उपस्थित:- श्री हरिराजसिंह वकील प्रार्थी  
 श्री बाबूलाल जैन वकील अप्रार्थीगण न.1

### निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं:-

यह कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 102 वर्तमान खाता संख्या 38 ख0न0 355/102 रकबा 1.28 है0 प्रार्थी न0 1, खाता संख्या 98 ख0न0 356/102 रकबा 1.28 है0 प्रार्थी न0 2, खाता संख्या 97 ख0न0 357/102 रकबा 1.29 है0 प्रार्थी न0 3 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम हमीरपुरा तहसील उनियारा में स्थित है। जिसमें समस्त खातेदारान के मध्य आप समें बहामी तोर पर बटवारा हो गया परन्तु राजस्व नक्शाशीट में अंकन नहीं किया गया है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी की आराजी पर ख0न0 8 गे0मु0 सडक ग्राम हमीरपुरा से परासिया नाडी ग्राम पंचायत कचरावता से होकर प्रतिपक्षी गण 1 ता 12 के खातेदारी खाता संख्या 26 ख0न0 86 व ख0न0 87 में से होकर ख0न0 89 की तरफ से होकर प्रतिपक्षी न0 13 ताक 36 खातेदारी की आराजी ख0न0 40 में से उसकी उक्षिणी मेड की तरफ से होकर अपने खातेदारी की आराजी ख0न 355/102, 356/102, 357/102 में आते जाते रहे है। तथा इसी रास्ते से होकर अपने कृषि उपकरण, ट्रैक्टर ट्रौली हल बैल कुली इत्यादि लाते ले जाते रहे है तथा यही रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है, जिससे आने जाने का प्रार्थी को सुखाधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि वादग्रस्त आराजी पर आने जाने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता भी नहीं है। जो कि प्रतिपक्षीगण ने पर चारो ओर चीरे गाडकर तारकशी कर प्रार्थी के रास्ते को बंद करने पर आमाद है। जिससे अपने खातेदारी की भूमि में आने-जाने में अवरोध उत्पन्न हो गया है, जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया तो प्रार्थी अपने जायज हक व अधिकारो से वंचित हो जायेगा। प्रार्थीगण नियमानुसार डीएलसी रेट के अनुसार जमा करवाने को तैयार है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी को अपने खातेदारी की भूमि ख0न 355/102, 356/102, 357/102 वाके ग्राम हमीरपुरा तहसील उनियारा पर आने जाने हेतु पुर्व की भांति आराजी ख0न0 8 गे0मु0 सडक ग्राम हमीरपुरा से परासिया नाडी ग्राम पंचायत कचरावता से होकर प्रतिपक्षी गण 1 ता 12 के खातेदारी खाता संख्या 26 ख0न0 86 व ख0न0 87 में से होकर ख0न0 89 की तरफ से होकर प्रतिपक्षी न0 13 ताक 36 खातेदारी की आराजी ख0न0 40 में से उसकी उक्षिणी मेड की तरफ से होकर 15 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करते हुए प्रार्थी को नियमानुसार डीएलसी रेट की राशि जमा करवाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 कर प्रतिपक्षीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षीगण न 1 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया गया तथा अप्रार्थीगण न0 13,16,21, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 34 के अधिवक्ता ने इकबाली जवाब प्रस्तुत किया। शेष प्रतिपक्षीगण बाद सूचना के अनु0। एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रकरण में तहसीलदार उनियारा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट मौके पर आराजी ख0न 355/102, 356/102, 357/102 वाके ग्राम हमीरपुरा तहसील उनियारा पर आने जाने हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है व उक्त आराजी पर प्रार्थीगण अपने परिवार सहित मकान बनाकर निवास कर रहे है। उक्त आराजीयात पर ख0न0 84 किस्म गे0मु0 रास्ते से होते हुए ख0न0 89 की उत्तरी मेड होकर ख0न0 87 की पश्चिमी मेड पर से ख0न0 337/90 व 336/90 की उत्तरी मेड पर बने 10-11 फीट रास्ते से अपनी खातेदारी आराजी पर आते जाते है। वर्तमान में जिस जिस ख0न0 से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजी पर आ जा रहे हैं वो रास्ता गांव की तरफ से प्रार्थीगण की आराजी पर आने का सबसे कम दुरी का रास्ता है।

S.Re.251a.137



उपखण्ड अधिकारी  
 उनियारा

उभय पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दौरान कथन किया की प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 355/102, 356/102, 357/102 वाके ग्राम हमीरपुरा तहसील उनियारा पर आने जाने हेतु पुर्व की भांति आराजी ख0न0 8 गे0मु0 सडक ग्राम हमीरपुरा से परासिया नाडी ग्राम पंचायत कचरावता से होकर प्रतिपक्षी गण 1 ता 12 के खातेदारी खाता संख्या 26 ख0न0 86 व ख0न0 87 मे से होकर ख0न0 89 की तरफ से होकर प्रतिपक्षी न0 13 तक 36 खातेदारी की आराजी ख0न0 40 मे से उसकी उक्षिणी मेड की तरफ से होकर 15 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करते प्रार्थीगण डीएलसी रेट के अनुसार राशि का भुगतान करने को तैयार है।

प्रतिपक्षी न. 1 के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ख0न0 अप्रार्थी के ख0न0 से होकर कभी नहीं गया। उक्त ख0 नम्बरों में होकर जाने जाने का कोई रास्ता भी मौके पर नहीं है व शीट में भी नहीं हैं, जिससे प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण अपने खेत पर अन्य रास्ते से आता जाता चला आ रहा था तथा वर्तमान में भी मुख्य सडक से ख0न0 85 व 40 की मेड पर होकर आता जाता चला आ रहा है। परन्तु प्रार्थीगण अब प्रतिपक्षी न0 1 को नाजायज परेशन करेन व भूमि को खुर्द बुर्द करने की नियत से रास्ता लेना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों के अधिवक्ता की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी संवत् 2070-2074 वाके हमीरपुरा खाता संख्या 38 ख0न0 355/102 रकबा 1.28 हैं। प्रार्थीगण न0 1, नकल जमाबन्दी संवत् 2070-2074 वाके हमीरपुरा खाता संख्या 98 ख0न0 356/102 रकबा 1.28 हैं। प्रार्थीगण न0 2, नकल जमाबन्दी संवत् 2070-2074 वाके हमीरपुरा खाता संख्या 97 ख0न0 357/102 रकबा 1.29 हैं। प्रार्थीगण न0 3 के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 355/102, 356/102, 357/102 पर आने-जाने के लिए वर्तमान में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। तहसीलदार उनियारा के रिपोर्ट अनुसार उनियारा ख0न0 84 किस्म गे0मु0 रास्ते से होते हुए ख0न0 89 की उत्तरी मेड होकर ख0न0 87 की पश्चिमी मेड पर से ख0न0 40 की दक्षिणी मेड के सहारे-सहारे ख0न0 357/102 तक दिया जा सकता है। यह रास्ता सबसे छोटा रास्ता है। जो उपयुक्त है। वर्तमान में तारबन्दी करने के कारण प्रार्थीगण को दिया जाने वाला रास्ता न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को खातेदारी भूमि ख0न0 355/102, 356/102, 357/102 में आने-जाने के लिए ख0न0 84 किस्म गे0मु0 रास्ते से होते हुए ख0न0 89 की उत्तरी मेड होकर ख0न0 87 की पश्चिमी मेड पर से ख0न0 40 की दक्षिणी मेड के सहारे-सहारे ख0न0 357/102 तक 4 मीटर चौडा रास्ता दिया जाकर तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रास्ते कि लम्बाई, चौड़ाई नाप कर राजस्थान स्टाम्प नियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित भूमि कीमत की दौ गुनी राशि अप्रार्थीगण को दिया जावे। उक्त आदेशानुसार रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाये। रास्ता सिर्फ प्रार्थी के लिये उपयोग हेतु नहीं होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उप खण्ड ( रजनी मीणा )  
उपखण्ड अधिकारी उनियारा